International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 03-10-2021, Accepted: 17-10-2021, Published: 01-11-2021
Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 1-3

राजनीति में महिलाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण

कविता पाण्डेय
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
संसद में महिलाओं की नाममात्र संख्या या उचित प्रतिनिधित्व का अभाव आधी आबादी के अधिकारों के प्रति समाज और राज्य दोनों की उदासीनता प्रकट करता हैं। प्रारंभ से ही राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की सीमित भूमिका को ही तरजीह दिया गया हैं जिससे महिलायें राजनीति या शक्ति के क्षेत्र से खुद को अलग थलग रखती हैं फिर भी सत्रहवीं लोकसभा में अब तक की सबसे अधिक महिलाओं का चयनित होना एक उम्मीद जरुर देता हैं। राजनीति में महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जहाँ महिलाओं के लिए निर्णय–निर्माण भागीदारी हेतु नए एवं विविध आयाम खुलते हैं। इस शोध–पत्र के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्दः महिला,महिला राजनीति, समाज

प्रस्तावना
राजनीतिक विमर्श में सभी वर्गों की भागीदारी एक जीवंत लोकतंत्र को जन्म देती है जहाँ निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक निश्चित मुठ्ठी भर अल्पतंत्र में नहीं वरन् सम्पूर्ण समाज में निहित होती है। इससे सभी वर्गों की आवाज मुखर होती है और जन–सामान्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। राजनीतिक भागीदारी, प्रत्येक वर्ग के सक्रिय प्रतिभाग को सम्बन्धित है, यह मताधिकार से अधिक है यहाँ जनता अपने राजनीतिक अधिकारों का न केवल जानती समझती है बल्कि इनका प्रयोग भी कर सकती है। यही राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की दृष्टिकोण से देखें तो ऊँट के मुँह में जीरा जैसी स्थिति नज़र आती है जहाँ भारत की आज़ादी के 75 वर्ष बाद की महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व निराशाजनक है। भारत में महिलाएँ मतदान में भाग लेती है, पुरुषों की तुलना में नीचे के स्तरों पर कार्यरत भी होती थी मसलन सार्वजनिक कार्यालय या राजनीतिक दल के लिए कार्य करना परन्तु इनकी संख्या ऊँगलियों पर गिनी जा सकती है। राजनीति में महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जहाँ महिलाओं के लिए निर्णय–निर्माण भागीदारी हेतु नए एवं विविध आयाम खुलते हैं। इस शोध–पत्र के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन पद्धति
इस शोध प्रपत्र हेतु ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से विविध आयामों का विश्लेषण किया गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रपत्र को लिखने का प्रयास किया गया है।

राजनीति और महिला भागीदारी
भारत का संविधान अपने नागरिकों को मत देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार एवं चुनाव में खड़े होने तथा चुने जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान वर्ग व लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करता है तथा वर्गीय एवं लैंगिक समानता पर बल देता है। समय–समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा लैंगिक समानता पर बल दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का प्रबन्धन करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयत्न किया। यदि हम इतिहास को खंगाले तो अनेक ऐसी महिलाओं का जिक्र आता है जिन्होंने शक्ति व राजनीति जैसे पुरुषों के क्षेत्र में अपना परचम लहराया। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मैडम भीकाजी कामा, कस्तूरबा गाँधी, विजयलक्ष्मी पण्डित आदि का स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार स्वाधीनता पश्चात् इन्दिरा गाँधी लौह महिला के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुयी। सुषमा स्वराज ने विदेशी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया। इसी प्रकार, सोनिया गाँधी, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित, मायावती, वसुंधरा राजे आदि महिलाओं द्वारा सक्रिय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है।

विकेन्द्रित लोकतंत्र के नजरिए से यदि पंचायती राज के स्तर पर देखें तो महिलाओं का प्रदर्शन अद्भुत रहा है। महिलाओं को पंचायत में एक–तिहाई आरक्षण मिला, पंचायती स्तर पर महिलाओं का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पंचायतों ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। आज जब कम उम्र की लड़कियाँ इस क्षेत्र में आ रही तो लगता है निश्चित रूप में पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्या राजेन्द्रन ने 21 साल में मेयर बनने का इतिहास रचा तो रेशमा मरियम राय देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी।

स्वतंत्रता से अब तक संसद में महिलाओं की स्थिति
भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएँ थी जिनमें सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू आदि प्रमुख महिलाएँ शामिल हैं।

स्वाधीनता के बाद पहली संसद में 20 कैबिनेट मंत्रालय में एकमात्र स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार एक महिला को मिला वह थी राजकुमारी अमृत कौर। पहली लोकसभा में 24 महिला सांसद थी। दूसरी लोकसभा में भी यही संख्या रही, लोकसभा वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, तीसरी लोकसभा (1962–67) में यह संख्या बढ़कर 37 पहुँची। इसके बाद चौथी, पाँचवी और छठी

लोकसभा में यह संख्या गिरकर 33, 28 और 21 रह गयी। सातवीं लोकसभा (1980–84) में यह संख्या बढ़कर 32 पहुँची, वहीं आठवीं लोकसभा (1984–89) में 45 महिलाएँ निर्वाचित होकर संसद पहुँची फिर नौवीं लोकसभा (1989) में यह संख्या गिरकर 28 हो गयी। 10वीं लोकसभा (1991–96) में 42 महिलाएं निर्वाचित हुयी और 11वीं लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 41 रही। 12वीं लोकसभा में 44 महिला संसद थी तो 13वीं, 14वीं में 52 महिलाएँ संसद पहुँची। 15वीं लोकसभा (2009–19) में इस संख्या में कुछ ज्यादा वृद्धि हुई और 66 महिलाएँ संसद पहुँची। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या–68 और 17वीं लोकसभा में अब तक की सबसे अधिक 78 महिलाएँ संसद पहुँची और इस लोकसभा में महिला सांसदों की कुल सदस्य संख्या 14 प्रतिशत है।

भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। भारत में इन्दिरा गाँधी के 16 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी स्थिति निराशाजनक है। अधिकतर वंशानुगत संभ्रान्त परिवार की महिलाएं ही राजनीति में टिकती है। इसके साथ अनेक महिलाओं के पीछे उनके पिता, पति, भाई का प्रभाव काम करता हैं इसमें महिलाओं की अपने स्तर पर सोचने, समझने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाती और न ही जमीनी स्तर पर कोई महिला अपने आपको संभ्रांत परिवार की महिला की राजनीति से जोड़ पाती है।

महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों की उदासीनता

भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक महिलाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर उन्हें राजनीतिक दलों से बहुत कम सहयोग मिला है। राजनीतिक दल महिला भागीदारी को सुनिश्चित करने के प्रश्न पर मौन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिला आरक्षण विधेयक जो संसद तथा राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसे पारित करने में राजनीतिक पार्टियों का रूख अत्यंत निराशाजनक रहा है। 1994 से यह बिल प्रस्तावित है आज तक यह बिल पारित नहीं हो सका है। इसके साथ ही पुरुष राजनीतिक को अपने विशेषाधिकारों के कम या समाप्त हो जाने का भय होता है जिससे वे महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्साह नही दिखाते।

कुछ समय पहले प्रियंका चतुर्वेदी का आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ पार्टी ने कदम नहीं उठाए। इस तरह के आरोप उच्च राजनीतिक स्तर पर सुने जा सकते हैं तो राजनीति में निम्न स्तर पर कार्यरत महिलाएं किस हद तक अभ्रदता, पितृसत्ता, बेहुदा सोच का सामना करती होगी अकल्पनीय है। राजनीति में महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिससे तात्पर्य है अलग–अलग पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को आवाज मिले और इससे राजनीति में संवेदना विकसित हो। इससे महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र को लेकर भय समाप्त होगा तथा उसमें आत्मविश्वास का संचार होगा।

महिला मतदाताओं की राजनीतिक भागीदारी

1980 और 2014 के बीच महिला मतदाताओं की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। 1980 में महिला मतदाताओं की संख्या 51 प्रतिशत थी, 2014 में यह बढ़कर 66 प्रतिशत हो गयी। 1990 से महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और 2014 के लोकसभा के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा महिला मतदाना (65.30 प्रतिशत) हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 98 फीसदी है।

देश में महिला और पुरुषों के मतदान प्रतिशत के आंकड़े तीसरी लोकसभा के चुनाव में प्रारम्भ हो गए। इस चुनाव में 63.31 प्रतिशत पुरुषों और 96.63 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 1967 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में नौ फीसदी वृद्धि हुयी 55.48 प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि महिला मतदाता प्रतिाश्त में यह वृद्धि महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, अक्सर देखा गया है महिलाएं अपने घर, परिवार के लोगों के दबाव के चलते उन्हीं प्रतिनिधियों को वोट करती है जिन्हें देने के लिए उनसे कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला मतदाताओं की मत प्रतिशत संख्या बढ़ने भर से महिला की राजनीतिक भागीदारी नहीं बढ़ जाती। इसके लिए अभी और जागरूक समाज की जरूरत है जो महिलाओं की नीति–निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहन है।

पुरूष वर्चस्ववादी राजनीति

हाल ही में ''लोकनीति सी0एस0डी0एस0 (सेन्टर फार स्ट्डी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज) और कोनरॉड एडेनॉयर स्टिकटेग'' ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जिसमें महिलाओं के राजनीति में भागीदारी से सम्बन्धित विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया। इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि महिला भागीदारी में सबसे बड़ा–बाधक तत्व इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व है पुरुष आधिपत्य से महिलाओं को राजनीति में अवसर नहीं मिलता है। इसी प्रकार अधिकांश महिलाएं कहती हैं कि घरों में राजनीतिक निर्णय लेने में उन्हें कम छूट प्राप्त होती है तो राजनीति जैसे क्षेत्र में उन्हें मौका कैसे मिलेगा। इसका प्रमुख कारण रूढ़िवादी सामाजिक ढाँचा एवं पितृसत्तावादी सोच है।

इसी प्रकार समाज के द्वारा कुछ मूल्य निर्धारित किए जाते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य बताया जाता है मसलन् राजनीति 'शक्ति' का क्षेत्र है वहाँ हिंसा, आक्रमकता, उग्रता का माहौल भी बनता है ऐसे में घरेलू कामकाज के लिए बनी महिलाएँ ऐसे माहौल में खुद को फिट नहीं कर पायेगी इसलिए पुरुष–स्त्री दोनों को अपने–अपने क्षेत्र में काम करने का प्रयास करना चाहिए और राजनीति महिला का क्षेत्र नहीं है यहाँ पुरुषों की चलती है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने से राजनीति की प्रकृति में बदलाव होने की उम्मीद है। राजनीति विविध आयामों मसलन राजनीति, अर्थ, शिक्षा, राज्य की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण फैसले लेती है और यदि इसमें आधी आबादी की सोच अथवा हित शामिल न हो तो यह असमानता की पहचान है इसलिए जरूरी है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े इसके लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए–

1. महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण की अपार सफलता को ध्यान में रखते हुए संसद में महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए यह कदम राजनीति में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
2. राजनीतिक दलों पर अधिक महिलाओं को टिकट दिया जाना चाहिए तथा दल में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिलाओं की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जा सके। विश्व के कई देशों जैसे–स्वीडन, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, नार्वे और फ्रांस आदि जगह ऐसे प्रावधान है और इसका पर्याप्त असर देखा गया है।
3. महिलाओं के राजनीति में जाने को लेकर जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंध व रूढ़िवादिता है इसे दूर किया जाना चाहिए। यह राजनीति में महिलाओं के प्रतिभाग को हतोत्साहित करता है। राजनीति में महिलाओं का जाना तथा वैसे माहौल में जहाँ पुरुषों का वर्चस्व है, वहाँ महिलाओं का

पितृसत्ता को चुनौती देना समाज को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी सोच से दूर शिक्षित, जागरूक समाज की ओर आगे बढ़ा जाए जहाँ महिलाएं राजनीति जैसे पुरुष वर्चस्ववादी क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा व क्षमता प्रदर्शित कर सके।

4. महिला के राजनीति में अधिकतम भागीदारी से उनमें आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। महिला सशक्तिकरण व राजनीतिक भागीदारी को बल मिलेगा। राजनीति में महिला प्रधान मूल्यों जिसमें स्नेह, रचनात्मकता, शारीरिक बल के अहंकार से मुक्ति इत्यादि शामिल है, को बल मिलेगा। इससे समाज में शिशुओं, लड़कियों और युवा महिलाओं के विकास को बल मिलेगा। महिलाओं के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को मजबूत व व्यावहारिक बनाया जा सकेगा। इससे पुरुष और महिला समानता बढ़ेगी।
5. डब्ल्यू ई0एफ0 (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में 18वें स्थान पर है, जो ब्रिटेन की 20वीं रैंक और अमेरिका की 68वीं रैंक से उल्लेखनीय रूप से ऊँची है। राजनीतिक अशक्तिकरण का यह सूचकांक राजनीतिक निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर को मापता है, जिसके अंतर्गत मंत्रालयिक पदों पर महिलाओं और पुरुषों के अनुपात और पिछले 50 वर्षों में राज्य के प्रमुख के रूप में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात का प्रयोग किया जाता है। भारत ममें 16 साल तक महिला प्रधानमंत्री (इन्दिरा गाँधी) रहने से इस सूचकांक में भारत की स्थिति सुदृढ़ है। इसके बावजूद, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए महिलाओं को अभी लम्बा सफर तय करना है इसके इसके लिए समाज व राजनीति दोनों क्षेत्र में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को देखते हुए राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है किन्तु राजनीति में महिलाओं का सक्रिय प्रतिभाग जरूरी है जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिले अब जरूरत है महिला पुरुष समानता की। बगैर किसी सीमा के प्रत्येक क्षेत्र में महिला–पुरुष बराबर है और उन्हें बराबर मौके भी दिए जाने चाहिए। यह भी सत्य है कि सरकार और समाज में महिलाओं की राजनीति में समान भागीदारी हेतु कदम उठाए हैं परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। आज महिलाओं राजनीति के प्रत्येक आयाम पर प्रतिभाग करने के लिए काबिल और सक्षम है इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए उन्नति के द्वार खुलने ही चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

1. आर्या, अशोक (2015), ''भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका'', जयपुर, जर्नल ऑफ एडवांसेज एण्ड स्कॉलइली रिसर्च इन एलीड एजुकेशन।
2. शर्मा, प्रज्ञा (2011), ''महिला विकास और सशक्तिकरण'', जयपुर, आविष्कारक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
3. शर्मा, प्रज्ञा (2011), ''वुमेन इन इण्डियन सोसाइटी'', जयपुर, प्वांइट पब्लिशर्स।
4. राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, EPW, 2011, 54(18).